न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 01/2020

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2020/00001

अपीलान्ट्स

1. भुण्डाराम पुत्र नारायणलाल जाति नायक
2. केवलचन्द पुत्र भंवरलाल जाति साटिया
3. दूदाराम पुत्र मगाराम जाति साटिया निवासीगण कण्टालिया तहसील मारवड़ जंक्शन जिला पाली राजस्थान

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. छगनलाल पुत्र नन्दाराम जाति गवारिया निवासी मुण्डिया तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली राज.।
2. किशनलाल पुत्र रूपाराम जाति मेघवाल निवासी कण्टालिया तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली
3. तहसीलदार (भू.अ.) मारवाड़ जंक्शन जिला पाली।

"अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956"

उपस्थित :–

1. अपीलाण्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र चौधरी।
2. रेस्पोडेण्ट संख्या 3 की ओर से सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 28/01/2026

अपीलाण्ट्स की ओर से अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा नामान्तरकरण संख्या 578 पारित आदेश दिनांक 28.05.2019 के विरूद्ध पेश की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 बावजूद नोटिस तामिली वक्त बहस असालतन/वकालतन न्यायालय में अनुपस्थित होने से अधिवक्ता अपीलाण्ट्स एवं सरकारी पैरोकार की बहस सुनी जाकर प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया।

अधिवक्ता अपीलाण्ट्स ने दौराने बहस अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम थल पटवार हल्का कण्टालिया द्वितीय के खसरा संख्या 1876 रेस्पोडेण्ट संख्या 1 छगनलाल की खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि थी। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने उक्त भूमि जरिये पंजीबद्ध बेचाणनामा दिनांक 28.06.2017 के द्वारा अपीलाण्ट्स के पक्ष में निष्पादित कर दी और कब्जा अपीलाण्ट्स को सुपूर्द कर दिया। अपीलाण्ट ने समस्त दस्तावेजों के साथ उसी रोज पटवारी हल्का के समक्ष पेश कर दिये परन्तु पटवारी हल्का ने उक्त नामान्तरकरण तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन के समक्ष दिनांक 20.05.2019 को पेश किया। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने उक्त बेचाणनामा

अति. जिला कलेक्टर पाली

निष्पादित करवाने के पश्चात् दिनांक 13.12.2017 को पुनः उसी भूमि का आगे बेचाण रेस्पोडेण्ट संख्या 2 के पक्ष में कर दिया, जो कि प्रारम्भ से ही शून्य एवं अवैध है फिर भी इस बेचाणनामें के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 591 स्वीकृत करवा दिया। हल्का पटवारी द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 578 एवं नामान्तरकरण संख्या 591 एक ही दिन तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें दोनों नामान्तरकरण अस्वीकार कर दिये गये। अपीलाण्ट को उक्त नामान्तरकरण निरस्त करने के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं दी गई और अपीलाण्ट जुलाई 2019 में अपनी खरीदसुदा भूमि पर काश्त कर रहे थे तो रेस्पोडेण्ट संख्या 2 जैर आराजी पर आये और अपीलाधीन आदेश के बारे में बताया तथा दस्तावेज प्राप्त कर अन्दर म्याद जैर अपील याचिका पेश की, जिसे अन्दर म्याद शुमार फरमाकर मातहत अदालत द्वारा प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत जारी अपीलाधीन आदेश को निरस्त फरमावे।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों की पालना करते हुए जैर अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। अतः जैर अपील नामान्तरकरण खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

हमने श्रवणसुदा बहस पर मनन करते हुये सम्पूर्ण पत्रावली एवं पत्रवाली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा नामान्तरकरण संख्या 578 पारित आदेश दिनांक 28.05.2019 के विरूद्ध पेश की है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को अन्दर म्याद शुमार करने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण में सर्वप्रथम हम अपीलाण्ट द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय म्याद अधिनियम एवं शपथ–पत्र के निर्णय में उचित समझते है कि उक्त आवेदन व शपथ पत्र अखंडित है। नामान्तरकरण से अपीलाण्ट के हक अधिकार प्रभावित होते है तथा जहां किसी व्यक्ति के हक अधिकारों का प्रश्न हो, वहां पर म्याद का बिन्दु गौण हो जाता है। तद्नुसार उसे अपने हक अधिकारों से वंचित किये जाने का नामान्तरकरण प्रथम–दृष्ट्या विधि विरूद्ध है जिससे प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय म्याद अधिनियम एवं शपथ–पत्र को अखंडित मानते हुए म्याद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण करते है।

हस्तगत प्रकरण में अपीलाधीन नामान्तरकरण पंजीबद्ध बेचाणनामा दिनांक 30.06.2017 के आधार पर दर्ज किया गया था। उक्त पंजीबद्ध बेचाणनामा के अनुसार खसरा संख्या 1876 की सम्पूर्ण आराजी के खातेदार छगनलाल द्वारा विधिवत रूप से अपीलाण्ट्स के पक्ष में विक्रय किया गया है तथा उक्त विक्रय विलेख उप–पंजीयक कार्यालय, मारवाड़ जंक्शन की पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 276, पृष्ठ संख्या 6, क्रम संख्या 2017001362 पर पंजीबद्ध है। पत्रावली पर ऐसे कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, जिससे यह जाहिर हो कि उक्त बेचाणनामा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया हो अथवा वर्तमान में कोई स्थगन आदेश पारित किया गया हो। नामान्तरकरण आवेदन की जांच सम्बन्धित आर.आई. कण्टालिया द्वारा दिनांक 19.05.2018 को की जाकर प्रकरण तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन को प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार

अति. जिला कलेक्टर पाली

मारवाड़ जंक्शन द्वारा उक्त नामान्तरकरण को बिना किसी कारण का उल्लेख किए, बिना कोई ठोस विधिक आधार बताए अपीलाधीन नामान्तरकरण को अस्वीकृत कर दिया। तहसीलदार द्वारा पारित उक्त आदेश न केवल कारणरहित है, बल्कि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के भी विपरीत है। जब एक वैद्य, पंजीबद्ध विक्रय विलेख मौजूद है, तब केवल मनमाने आधार पर नामान्तरकरण अस्वीकृत करना विधिसम्मत नहीं है। नामान्तरकरण की कार्रवाई केवल राजस्व प्रयोजन हेतु होती है तथा पंजीबद्ध बेचाणनामा के अस्तित्व में रहते हुए नामान्तरकरण को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। यदि विक्रय दस्तावेज पर किसी पक्ष को आपत्ति है, तो उसका उपचार सिविल न्यायालय में है। स्पष्टतया यह प्रकरण विधि के आज्ञापक प्रावधानों के विरूद्ध है तथा जैर नामान्तकरण निरस्त किये जाने का प्राथमिक आधार है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर मारवाड़ जंक्शन द्वारा नामान्तरकरण संख्या 578 पारित आदेश दिनांक 28.05.2019 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण में एक मुख्य तथ्य दृष्टिगोचर हुआ है कि नामान्तरकरण संख्या 578 पटवारी हल्का कण्टालिया II द्वारा दर्ज होने के पश्चात् आर.आई कण्टालिया द्वारा दिनांक 19.05.2018 को जांच के पश्चात् तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा दिनांक 28.05.2019 को अस्वीकृत किया गया। ग्राम थल तहसील मारवाड़ जंक्शन के खसरा संख्या 1876 की जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076, जिसकी सत्यप्रति पी–35, नम्बर 114 दिनांक 27.11.2017 को जारी की गई, में अंकित इबारत अनुसार "नामान्तरकरण संख्या 578 बेचान से सम्पूर्ण खाता भुण्डाराम पुत्र नारायणलाल कौम नायक, केवलचन्द पुत्र भंवरलाल कौम साटिया, दुदाराम पुत्र मगाराम कौम साटिया सा. कण्टालिया खातेदार दर्ज किया।" जब नामान्तरकरण संख्या 578 पर अन्तिम निर्णय वर्ष 2019 में पारित हुआ हो तो हल्का पटवारी द्वारा वर्ष 2017 में खरीदकर्त्ता अपीलाण्ट्स को जैर आराजी में खातेदार दर्ज कैसे किया जा सकता है ? जमाबन्दी एक राजस्व रेकर्ड है, जिसमें भूमि की वर्तमान स्थिति, खातेदारों, रकबा, किस्म से सम्बन्धित जानकारी अंकित होती है परन्तु उक्त जमाबन्दी में हल्का पटवारी ने किन आदेशों के आधार पर खरीदकर्त्ता अपीलाण्ट्स को खातेदार दर्ज किया यह कही भी स्पष्ट नहीं है। इस सम्पूर्ण घटनाक्रम से यह स्पष्ट होता है कि तत्कालीन पटवारी कण्टालिया II ने जानबूझकर बिना किसी उचित आदेश के राजस्व रेकर्ड में उक्त प्रविष्टि अंकित की। यह स्थिति विधि सम्मत नहीं है, साथ ही एक लोकसेवक के पदीय कर्त्तव्यों के विरूद्ध है। अतः तत्कालीन हल्का पटवारी कण्टालिया II के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु इस निर्णय की प्रतिलिपि जिला कलक्टर, पाली को पृथक से भिजवाई जावे। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि तहसीलदार, मारवाड़ जंक्शन को इन निर्देशों के साथ प्रेतिप्रेषित की जाती है कि वे उभयपक्ष तथा हितबद्ध पक्षकार को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर हमारे उपरोक्त प्रेक्षणों को दृष्टिगत रखते हुये दस्तावेज/साक्ष्य की जांच कर नव सरे विधिनुसार निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 28/01/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली